86

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक पुनरावलोकन 31—पीबीआर/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18—12—2008 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के अपील क्रमांक 1852—दो/2006.

.....

1— वीरेन्द्र सिंह पुत्र लज्जाराम
2— लोंगश्री
3— कमला
4— शीला, पुत्रियां लज्जाराम
5— रामस्वरूप
6— पातीराम, पुत्रगण गनेश तैली
7— जावित्री
8— सोनाबाई
9— धनवन्ती, पुत्रियां गनेश तैली
समस्त निवासी—ग्राम बघोरा खुर्द
तहसील जौरा, जिला—मुरैना, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

नारायणी पत्नी स्व0 सुन्दर सिंह
निवासी—ग्राम बघोरा खुर्द
तहसील जौरा, जिला—मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के अपील क्रमांक 1852–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष संहिता की धारा–107 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बघोराखुर्द की आराजी सर्वे क्रमांक 173/6 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि का बन्दोबस्त के दौरान नवीन सर्वे क्रमांक 340 रकबा 0.47 आरे तथा सर्वे क्रमांक 342 रकबा 0.23 आरे किये गये, किन्तु नक्शा बरारी करने पर उक्त भूमि कम बैठती है । सर्वे क्रमांक 342 का कुछ भाग सर्वे क्रमांक 341 में चला गया है । सर्वे क्रमांक 342 में आवेदक का पुस्तैनी कुआ बना हुआ है । उस कुये के ऊपरी भाग में गलत रूप से मेड कायम करते हुये अंकित किया गया है। जबकि कुयें का निर्माण आवेदक के पूर्वजों द्वारा किया गया है। नवीन नक्शें में बन्दोबस्त के दौरान 342 एवं 340 की भुजाये कम कर देने से भूमि कम हो गई है। सर्वे क्रमांक 340(0.47) आरे की जगह (0.39) आरे कर दी गई है, जो 8 आरे कम है । सर्वे क्रमांक 342(0.23) आरे की जगह (0.16) आरे कर दी गई है जो 7 आरे कम है । आवेदक का पुस्तैनी कुआं पर गलत भुजा से सर्वे क्रमांक 342 व 341 के मध्य में आ गया है। आवेदक के पूर्वजों की छत्री सर्वे क्रमांक 341 में चली गई है । अतः पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शें में सुधार करने का निवेदन किया गया । अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक नारायणी द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर प्ररकण खारिज करने का निवेदन किया । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 20.08.2004 द्वारा पूर्व में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी जौरा को धारा –89 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अन्तरित करने व प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण आवेदकगण का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान आवेदकगण ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 10.08.2006 को स्वीकार की गई। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अपील स्वीकार करते हुये राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये गये। अपर

जो दिनांक 18.12.2008 को स्वीकार किये जाने के कारण उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह पुनरावलोकन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में बताया कि आवेदकगण ने संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत अपने स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 340 एवं 342 (पुराना सर्वे क्रमांक 173/6 क्षेत्रफल 3 बीघा 7 बिस्वा) के नक्शें में सुधार करने हेतु कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था । नक्शे की त्रुटियों के सम्बंध में सुधार करने का विचाराधिकार कलेक्टर को ही प्राप्त है न कि अनुविभागीय अधिकारी को । राजस्व मण्डल द्वारा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में जांच करने एवं निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है । आवेदक अभिभाषक का तर्क यह भी है कि राजस्व मण्डल ने अपने आदेश में वस्तुतः कुयें के स्वत्व एवं उस पर अधिकार के समक्ष में रखते हुये जांच करने के निर्देश दिये गये है जो कि अभिलेख की स्पष्ट भूल है । आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की थी कि उनकी भूमि के नक्शे में जो भुजाये निर्मित की गई है वे त्रुटिपूर्ण है। सर्वे क्रमांक 340 एवं 342 की भुजायें कम करने के कारण आवेदकों की भूमि में स्थित कुआ स्वाभाविक रूप से अनावेदक की भूमि में दर्शाया गया है, यदि आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 340 एवं 342 की भुजाये क्षेत्रफल के अनुसार सुधार दी जाती है तब रकबा बरारी करने पर नक्शे की त्रुटि प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित हो जायेगी। इस बिन्दू पर राजस्व मण्डल द्वारा कोई विचार न करते हुये आदेश पारित किया गया है । आवेदक अभिभाषक का यह भी कहना है कि कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण की जांच कराई गई थी। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/2002–03/बी–122 पंजीबद्ध कर जांच की गई थी। राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 2511.2002 तथा तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेद दिनांक 28.11.2002 में आवेदकगण की प्रार्थना को सही होना स्पष्ट करता है । विवादित आदेश मात्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण लंबित होने को आधार बनाकर पारित किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अनुविभगीय अधिकरी के समक्ष संहिता की धारा 107 का प्रकरण लंम्बित नहीं है, किसी अन्य बिन्दू पर प्रकरण लंबित होने के कारण आवेदकगण का वर्तमान प्रकरण व्यर्थ नहीं हो जाता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण भेजने में त्रुटि की गई है । अतः विवादित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः पुनरावलोकन प्रकरण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में बताया कि प्रकरण की परिस्थतियों एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करने के उपरांत ही राजस्व मण्डल ने अपने आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उभयपक्षों को वहां अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर प्राप्त है । इस कारण से विवादित आदेश सही होने से स्थिर रखे जाने एवं पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्कों एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा–107(5) के अन्तर्गत अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 340 एवं 342 जिसका पुराना सर्वे क्रमांक 173/6 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा हैक्टेयर के नक्शें में हुई त्रुटि , जिसके कारण भूमि का रकबा कम हो जाने के कारण बन्दोबस्त के दौरान निर्मित नवीन नक्शें में भूमि के पुराने नक्शें के आधार पर सुधार करने का निवेदन किया गया था । संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शें में सुधार करने का एक मात्र विचाराधिकार कलेक्टर को ही प्रदान किया गया है। विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारी को अन्यत्र अन्तरित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विधि में ऐसा करने का कोई उपबन्ध न हो। अपर कलेक्टर ने भी अपने आदेश में इस बिन्दू पर कोई विचार नहीं करते हुये आवेदकगण के आवेदनपत्र को निरस्त किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.08.2006 में इस बिन्दू पर विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश पारित किया गया था, विवादित आदेश में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने हेतु जो आधार दिये थे उन पर किसी प्रकार का विचार एवं निर्णय लिया जाना परिलक्षित नहीं होता है । विवादित आदेश द्वारा प्रकरण को ऐसे न्यायालय को जांच एवं कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसे संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का कोई विचाराधिकार ही प्राप्त नहीं है, जो कि स्पष्ट त्रुटि है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 रेवेन्यू निर्णय 240 में भी विधि की इस मंशा का स्पष्ट किया गया है । विधि द्वारा नक्शें में सुधार करने का अधिकार मात्र कलेक्टर अथवा अपर कलेक्टर को ही प्रदान किया गया है अन्य द्वारा नहीं किया जा सकता है जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2002 रेवेन्यू निर्णय 238 में न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर विवादित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 1852–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2008 अपास्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 289/2005–06/अपील में पारित आदेश दिनांक 10.08.2006 पुनस्थांपित किया जाता है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाये । यह पुनरावलोकन प्रकरण स्वीकार किया जाता है ।

उभयपक्ष सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस किये जाये। इस न्यायालय का अभिलेख तद्उपरांत दाखिल रिकॉर्ड किया जाये।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर